न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :48 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 258)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. कालू राम पुत्र बचनाराम जाति कुम्हार निवासी 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रीगंगानगर। 2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रीगंगानगर। 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 17.06.2025

उपस्थितः 1.श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 27.10.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 64 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 2.555 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 0.633 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। नामान्तरण संख्या 356 किस्म डिक्री दिनांक 31.05.2012 के द्वारा मुझे मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 19/3 की 0.063 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/2 की 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/2 की 0.177 हैक्टेयर, कुल 0.417 हैक्टेयर भूमि मुख्य सडक दर्ज कर दी गई है। मौके पर सडक किला नम्बर 18/2 की 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/2 की 0.177 हैक्टेयर में का इन किलों में रकबा कम होना चाहिए था। लेकिन इन किलों में सडक निकाल दी है। मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 18/2, 22/2 में मौके पर सडक जितने रकबे से गुजर रही है उतना ही रकबा गैरमुमकिन सडक के नाम दर्ज किया जाकर शेष रकबा जो मुझे 0.103 हैक्टेयर कम प्राप्त हुआ है व इन किलों के द्वारा मेरा रकबा पूरा होना चाहिए था। सार्वजनिक निर्माण विभाग का खाता संख्या 109 में उक्त रकबा दर्ज है। विभाग के द्वारा रोड के रकबा का मुझे कोई मुआवजा राशि भी नहीं दी गई है। मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 18/2 की 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/2 की 0.177 हैक्टेयर कुल 0.354 हैक्टेयर मुख्य सडक का रकबा मौके पर चल रही है। सडक को पूरा करते हुए शेष रकबा में से 0.103 हैक्टेयर रकबा ज्यादा अधिग्रहण किया गया है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक बनाकर अधिग्रहण किया हुआ है, जो रकबा ज्यादा है वो रकबा वादी को दिलवाया जावे। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 64 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 2.555 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 0.633 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। नामान्तरण संख्या 356 किस्म डिक्री दिनांक 31.05.2012 से वादी की 0.103 हैक्टेयर रकबा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नाजायज रूप से दर्ज करवाई है, उक्त रकबा वादी को वापिस दिलवाये जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2478 दिनांक 06.10.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

चक 2 एम की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 64 व वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 109 की जांच की गई। जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 64 में कालूराम पुत्र बचनाराम के नाम 0.633 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। इसी क्रम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के मुकदमा नम्बर 16/2009, अनवान राजेन्द्र कुमार उर्फ रामेश्वर बनाम जयराम आदि, अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए, निर्णय दिनांक 31.05.2012 के अनुसार नामान्तरण संख्या 356 दर्ज किया गया। जिसमें कालूराम पुत्र बचनाराम को मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1/1 की 0.080 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.125 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/1 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/1 की 0.051 हैक्टेयर, किला नम्बर 23/1 की 0.147 हैक्टेयर कुल 0.530 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई, जो मुताबिक उक्त डिक्री आदेश के अनुसार सही दर्ज है। नामान्तरण संख्या 356 द्वारा गैरमुमकिन सडक मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 19/2 की 0.063 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/2 की 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/2 की 0.177 हैक्टेयर कुल 0.417 हैक्टेयर रकबा दर्ज किया गया है। कालूराम पुत्र बचनाराम की मुरब्बा नम्बर 39 में 0.633 हैक्टेयर भूमि दर्ज थी। नामान्तरण संख्या 356 से 0.530 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 64/61 की प्रति, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 64/61 में नामान्तरण संख्या 356 किस्म डिक्री दिनांक 31.05.2012 से दर्ज 0.103 हैक्टेयर गैरमुमकिन सडक भूमि को वादी के नाम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के मुकदमा नम्बर 16/2009, अनवान राजेन्द्र कुमार उर्फ रामेश्वर बनाम जयराम आदि, अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए, निर्णय दिनांक 31.05.2012 के अनुसार नामान्तरण संख्या 356 दर्ज किया गया। जिसमें कालूराम पुत्र बचनाराम को मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1/1 की 0.080 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.125 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/1 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/1 की 0.051 हैक्टेयर, किला नम्बर 23/1 की 0.147 हैक्टेयर कुल 0.530 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई, जो मुताबिक उक्त डिक्री आदेश के अनुसार सही दर्ज है। नामान्तरण संख्या 356 द्वारा गैरमुमकिन सडक मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 19/2 की 0.063 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/2 की 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/2 की 0.177 हैक्टेयर कुल 0.417 हैक्टेयर रकबा दर्ज किया गया है। लिहाजा वादी के द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2009, अनवान राजेन्द्र कुमार उर्फ रामेश्वर बनाम जयराम आदि, अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए, निर्णय दिनांक 31.05.2012 के अनुसार दर्ज डिक्री नामान्तरण संख्या 356 में दर्ज 0.103 हैक्टेयर गैरमुमकिन सडक रकबा को वादी के नाम दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वादी कालूराम पुत्र बचना राम के नाम डिक्री अनुसार सही रकबा दर्ज हुआ है। इसलिए हस्तगत प्रकरण दुरुस्ती का नहीं है। यदि वादी डिक्री इन्तकाल संख्या 356 से व्यथित है, तो सक्षम न्यायालय में डिक्री इन्तकाल संख्या 356 की अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. कालू राम पुत्र बचनाराम जाति कुम्हार निवासी 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रीगंगानगर। 2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रीगंगानगर। 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्याः- 48/2025
निर्णय दिनांक :- 27.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। आज दिनांक 27.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00
योग	**04**	**00**

मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प अर्जी	00	00
मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर